

**आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**


क्रमांक : एफ.1(पे-पेंशन)स्था/आकाशि/2018/ 170

दिनांक : 31-1-2019

**आदेश**

विभागीय पत्रांक एफ.1(पे-पेंशन)स्था/आकाशि/2018/35 दिनांक 01.08.2018, 4489 दिनांक 16.08.2018, 4490 दिनांक 21.08.2018, 83 दिनांक 17.09.2018 तथा अन्य विभिन्न पत्रों के द्वारा विभिन्न राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त व्याख्याताओं को पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

समस्त राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उनके महाविद्यालय में पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त प्राचार्य / उपाचार्य / व्याख्याताओं की दिनांक 31.01.2019 से सेवाये समाप्त कर सूचना विभागीय ई मेल आई डी hrd.cce@gmail.com पर प्रेषित करें।


  
(प्रदीप कुमार बोरड)  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग  
एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(पे-पेंशन)स्था/आकाशि/2018/ 170

दिनांक : 31-1-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेब-साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर